

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 04.01.2023 को सुबह 10:30 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुरजा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- श्री एस.के. राव, सीमा शुल्क अधीक्षक, नोएडा।
- श्री चमन लाल, सहायक वि. व्या. म, कार्यालय वि. व्या. म, सीएलए, नई दिल्ली।
- श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा
- श्री नीरज कुमार, आयकर अधिकारी, नोएडा।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (ii) श्री किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, (iii) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी, (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और; (v) श्री सुनील गुलियानी, आशुलिपिक/डीलिंग हैंड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:-

मद संख्या 1. दिनांक 07.12.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-

चूंकि 07.12.2023 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 07.12.2023 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

मद संख्या 2: अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव:-

2.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक

2.1.1 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, बुलंदशहर (यूपी) में बहु-क्षेत्रीय विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासक ने अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में डिफॉल्ट अधिकृत संचालन के लिए सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन का नाम	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	विद्युत, गैस और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क जिसमें उपयुक्त क्षमता के आवश्यक उप-स्टेशनों, पाइपलाइन संजाल आदि शामिल हैं।	04	1.08
II.	प्रसंस्करण क्षेत्र में समस्त प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	13.60
		कुल	14.68

सुरेंद्र मलिक

2.1.2 अनुमोदन समिति के ध्यान में यह लाया गया कि लागत वसूली शुल्क के भुगतान के लिए कुल 32.72 लाख रुपये की राशि लंबित है। इसमें से 25.27 लाख रुपये (मूल 7.93 लाख रुपये + 17.34 लाख रुपये ब्याज) 14.11.2022 से पहले की अवधि के लिए हैं (दिवालिया कार्यवाही शुरू होने की तारीख से पहले) और 7.44 लाख रुपये मार्च 2024 तक लागत वसूली शुल्क पर ब्याज से संबंधित हैं।

2.1.3 श्री अमिताभ चौधरी, सीईओ और श्री रोशल लाल, मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया। दिवाला कार्यवाही शुरू होने की तारीख से पहले बकाया लागत वसूली शुल्क के भुगतान के संबंध में, प्रतिनिधियों ने बताया कि इसका भुगतान दिवाला कार्यवाही पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।

2.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने सामग्रियों की प्रस्तावित सूची को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विकासक दिवाला कार्यवाही शुरू होने की तारीख के बाद बकाया लागत वसूली शुल्क जमा करेगा और एक शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि वे 25.27 रुपये (दिवालिया कार्यवाही शुरू होने की तारीख से पहले से संबंधित) दिवाला कार्यवाही पूरी होने के दो महीने के भीतर का बकाया लागत वसूली शुल्क जमा करेंगे। अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मद संख्या 3: इकाई के क्षेत्र के विस्तार के लिए प्रस्ताव:-

3.1 मेसर्स ईएक्सएल सर्विस.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गोल्डन टावर विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई -II)

3.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद 6वीं मंजिल, विंग-ए बिल्डिंग नंबर बी-1' पर 28973 वर्ग फुट जोड़कर क्षेत्र के विस्तार के लिए मेसर्स एक्सएल सर्विस.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II) और नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अनुमानों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्लॉट नंबर 08, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में गोल्डन टावर इफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इसकी इकाई के लिए है:-

(रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
अनुमानित निर्यात	242663.93	267808.43
विदेशी मुद्रा व्यय	15969.43	21414.24
एनएफई आय	226694.50	246394.19
आयातित पूंजीगत सामान	2142.23	1649.39
स्वदेशी पूंजीगत सामान	1448.78	1448.78
आयातित इनपुट सेवाएं	1238.26	19764.85
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	35695.00	35695.00

मद संख्या 4: स्वीकृति पत्र में अतिरिक्त मदों को शामिल करने के प्रस्ताव:

4.1 मेसर्स अवाट लॉजिस्टिक्स।

4.1.1 मेसर्स अवाट लॉजिस्टिक्स के मालिक श्री हरविंदर सिंह पनेसर और मेसर्स इकिरोन टेक्नोलॉजीज के श्री आशीष कथूरिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

सुरेंद्र मलिक

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अवाट लॉजिस्टिक्स के स्वीकृति पत्र दिनांक 05.10.2020 में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दी। यह ग्राम-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु-सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है: -

क्र.सं.	इकाई द्वारा प्रस्तावित एचएस कोड	इकाई द्वारा दिया गया वस्तु विवरण
1	22082011	ब्रांडी
2	22082019	अन्य
3	22083011	बॉर्बन व्हिस्की
4	22083013	मिश्रित
5	22083019	अन्य
6	22084011	रम
7	22081012	अन्य
8	22085012	जिनेवा
9	22087011	लिकर्स
10	22087012	सौहार्दपूर्ण
11	22089011	शराब
12	22089012	इंडेनेचर्ड एथिल अल्कोहल
13	22089019	अन्य
14	22042110	पोर्ट और अन्य रेड वाइन
15	22042120	शेरी और अन्य सफेद वाइन
16	22042190	अन्य
17	22042210	पोर्ट और अन्य रेड वाइन
18	22042220	शेरी और अन्य सफेद वाइन
19	22042290	अन्य
20	22042910	शेरी और अन्य सफेद वाइन
21	22042920	अन्य
22	22042990	शेरी और अन्य सफेद वाइन
23	22043000	अन्य अंगूर चाहिए;
24	84713090	अन्य;
25	85081100	स्व-निहित इलेक्ट्रिक मोटर के साथ: - जिसकी शक्ति 1,500 W से अधिक न हो और डस्ट बैग या अन्य रिसेप्टेकल क्षमता 20 L से अधिक न हो
26	85098000	अन्य उपकरण
27	85099000	पार्ट्स;
28	85101000	शेवर्स;
29	85103000	बाल हटाने वाले उपकरण;
30	85163200	अन्य हेयर-ट्रेसिंग उपकरण
31	85171300	स्मार्टफोन्स;
32	85183019	अन्य;

सुरेंद्र मलिक

33	85183020	हेडफोन और इयरफोन, माइक्रोफोन के साथ संयुक्त हैं या नहीं, और केवल वायर्ड माध्यम से कनेक्ट करने में सक्षम हैं
34	95049090	अन्य;

4.1.3 यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है:-

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- मादक पेय/शराब के लिए, केवल आयातित सीलबंद बोतलों को एफटीडब्ल्यूजेड में भंडारित किया जाएगा और इसे या तो वैसे ही या फिर से लेबल करके निर्यात किया जाएगा।
- इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करनी होगी।

4.2 मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

4.2.1 श्री अमिताभ चौधरी, सीईओ और श्री रोशल लाल, मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स अर्शिया 3पीएल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्वीकृति पत्र दिनांक 30.10.2018 में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल करने को मंजूरी दी। यह ग्राम-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्डन एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु-सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है: -

क्र.सं.	इकाई द्वारा प्रस्तावित आईटीसी(एचएस)/एक्ज़िम कोड	वस्तु विवरण
1.	0713	सूखी फलीदार सब्जियाँ, छिलके वाली, चाहे छिलका उतारी हुई हों या फटी हुई हों।
	07131010	पीली मटर
	07132010	काबुली चना
	07132020	बंगाल चना (देसी चना)
	07133110	विग्रा मुंगो (एल.) हेपर प्रजाति की फलियाँ
	07133200	(विग्रा एसपीपी., फेज़ियोलस एसपीपी):- छोटी लाल (एडजुकी) फलियाँ (फेज़ियोलस या विग्रा एंगुलरिस)
	07133300	बीन्स (विग्रा एसपीपी, फेज़ोलस एसपीपी):- राजमा, सफेद मटर बीन्स (फेज़ोलस वल्गारिस) सहित
	07133400	बीन्स (विग्रा एसपीपी, फेज़ियोलस एसपीपी):- बाम्बारा बीन्स (विग्रा सबट्रेनिया या वोआंडज़िया सबट्रेनिया)
	07133500	बीन्स (विग्रा एसपीपी, फेज़ोलस एसपीपी):- गाय मटर (विग्रा अनगुइकुलाटा)
	07133910	ग्वार के बीज
	07133990	अन्य

सुदेश मलिक

	07134000	मसूर की दाल
	07135000	ब्रांड बीन्स (विकिया फैबा वर मेजर) और हॉर्स बीन्स (विकिया फैबा वर इक्विना, विसिया फैबा वर माइनर)
	07136000	अरहर दाल (कैजानस कैजन) (आयात 31.03.2024 तक 'मुफ्त' है)।
2.	1006	चावल
	10061090	अन्य
	10062000	भूसी (भूरा) चावल
	10063010	चावल, हल्का उबाला हुआ
	10063020	बासमती चावल
	10063090	अन्य
	10064000	टूटा चावल
3.	1201	सोयाबीन, टूटा हुआ है या नहीं
	12019000	अन्य
4.	1701	गन्ना या चुकंदर चीनी और रासायनिक रूप से शुद्ध सुक्रोज, ठोस रूप में
	17011200	कच्ची चीनी जिसमें अतिरिक्त स्वाद या रंग देने वाले पदार्थ शामिल नहीं हैं: - इस अध्याय के उपशीर्षक नोट 2 में निर्दिष्ट गन्ना चीनी।
	17011310	गन्ने का गुड़
	17011320	खांडसारी चीनी
	17011410	गन्ने का गुड़
	17011420	खांडसारी चीनी
	17011490	अन्य
	17019100	अन्य:- परिष्कृत चीनी जिसमें अतिरिक्त स्वाद मिलाया गया हो
	17019910	शुगर क्यूब
	17019990	अन्य
5.	1702	ठोस रूप में रासायनिक रूप से शुद्ध लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सहित अन्य शर्करा; चीनी सिरप में अतिरिक्त स्वाद या रंग पदार्थ, कृत्रिम शहद नहीं है, चाहे वह प्राकृतिक शहद के साथ मिश्रित हो या नहीं; कारमेल।
	17021110	ठोस रूप में
	17021190	अन्य
	17021910	ठोस रूप में
	17021990	अन्य
	17022010	ठोस रूप में
	17022090	अन्य
	17023010	ग्लूकोज, तरल
	17023020	ग्लूकोज, ठोस
	17023031	डेक्सट्रोज-ठोस रूप में
	17023039	डेक्सट्रोज--अन्य
	17024010	ग्लूकोज, तरल
	17024020	ग्लूकोज, ठोस
	17024031	डेक्सट्रोज-ठोस रूप में
	17024039	डेक्सट्रोज--अन्य
	17025000	रासायनिक रूप से शुद्ध फ्रुक्टोज

सुरेंद्र मलिक

	17026010	ठोस रूप में
	17026090	अन्य
	17029010	पलमायरा चीनी
	17029020	रासायनिक रूप से शुद्ध माल्टोज़
	17029030	कृत्रिम शहद, चाहे प्राकृतिक शहद के साथ मिश्रित हो या नहीं
	17029040	कारमेल
	17029050	इंसुलिन सिरप
	17029090	अन्य

4.2.3 यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है: -

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी।

4.3 मैसर्स यूनिवर्सल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड

4.3.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मैसर्स यूनिवर्सल मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के दिनांक 26.10.2023 के स्वीकृति पत्र में निम्नलिखित उत्पादों को शामिल करने को मंजूरी दी। यह ग्राम-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु-सेवाएँ विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इसकी इकाई के संबंध में है: -

क्र.सं.	आईटीसी(एचएस)	वस्तु विवरण
1.	0801	नारियल, ब्राज़ील नट्स और काजू, ताज़ा या सूखे, चाहे छिलके वाले हों या नहीं।
	08011100	नारियल:- सूखा हुआ
	08011210	ताजा
	08011220	सूखा
	08011290	अन्य
	08011910	ताजा
	08011920	सूखा
	08011990	अन्य
	08012100	ब्राजील नट्स:- खोल में
	08012200	ब्राजील नट्स - छिलकेदार
	08013100	काजू: छिलके में
2.	0802	अन्य मेवे, ताजे या सूखे, छिलके वाले या छिले हुए हों या नहीं।
	08021100	बादाम: छिलके में

सुरेंद्र मलिक

	08021200	बादाम: छिलकेदार
	08022100	हेज़लनट्स या फ़िल्बर्ट्स (कोरीलस एसपीपी.): खोल में
	08022200	हेज़लनट्स या फ़िल्बर्ट्स (कोरीलस एसपीपी.): छिलकेदार
	08023100	अखरोट:--खोल में
	08023200	अखरोट:- छिलकेदार
	08024100	चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.): -- खोल में
	08024200	चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.): -- छिलकेदार
	08025100	पिस्ता:--खोल में
	08025200	पिस्ते:--छिलकेदार
	08026100	मैकाडामिया नट्स:--खोल में
	08026200	मैकाडामिया नट्स:- छिलकेदार
	08027000	कोला नट्स (कोला एसपीपी.)
	08029100	अन्य - पाइन नट्स, खोल में
	08029200	अन्य- - पाइन नट्स, छिलकेदार
	08029900	अन्य- - अन्य
3.	0804	खजूर, अंजीर, अनानास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मैंगोस्टीन, ताज़ा या सूखा हुआ।
	08041010	ताजा (गीले खजूर को छोड़कर)
	08041020	नरम (खैजूर या गीली खजूर)
	08041030	कठोर (छोहारा या खरेक)
	08041090	अन्य
	08042010	ताजा
	08042090	अन्य
	08043000	अनानास- ताजा या सूखा हुआ
	08044000	एवोकैडो - ताजा या सूखा हुआ
	08045010	अमरूद - ताजा या सूखा हुआ
	08045021	अल्फांसो (हापुस)
	08045022	बंगनपल्ली
	08045023	चौसा
	08045024	दशेरी
	08045025	लंगड़ा
	08045026	केसर
	08045027	तोतापरी
	08045028	मल्लिका
	08045029	अन्य
	08045030	अमरूद, आम और मैंगोस्टीन:--- आम, सूखे कटे हुए
	08045040	आम का गूदा
	08045090	अन्य

4.3.2 यह अनुमोदन निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन है:-

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा पूरी तरह से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।

सुरेंद्र मलिक

- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- iv. विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी।

मद संख्या 5: सुविधा प्रदाताओं के संबंध में स्थान समर्पण की सूचना:

5.1 मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, विकासक

5.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित सुविधा प्रदाताओं के संबंध में स्थान के आवंटन / समर्पण के लिए विकासक मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं पर ध्यान दिया। यह प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में इसके आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रसंस्करण क्षेत्र में है, और 03.02.2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार है:-

स्थान का समर्पण:

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	आवंटित क्षेत्र एवं स्थान	के लिए स्थान आवंटित किया गया	अनुमोदन पत्र की तिथि	बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत गतिविधि के तहत
i.	मेसर्स टिसेन बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	607 वर्गफुट (56.39 वर्गमीटर)	'टी हॉल्ट' स्थापित करने और संचालित करने के लिए	क्रमांक 10/46/2006-SEZ/4965 दिनांक 15.05.2013	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, कैटीन और खानपान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं
ii.	मेसर्स एम.जी. फूड्स	ग्राउंड फ्लोर पर 630 वर्ग फुट (58.53 वर्ग मीटर), सुविधा ब्लॉक- II	'त्वरित सेवा रेस्तरां' की स्थापना और संचालन करना	क्रमांक 10/46/2006-SEZ/Vol-IV/3234 दिनांक 23.03.2018	कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, रेस्तरां, कॉफी की दुकानें, कैटीन और खानपान सुविधाओं सहित खाद्य सेवाएं

नया आवंटन:

क्र.सं.	विक्रेता का नाम	आवंटित क्षेत्र एवं स्थान	के लिए स्थान आवंटित किया गया	अनुमोदन पत्र की तिथि	बीओए द्वारा अनुमोदित अधिकृत गतिविधि के तहत
i.	मेसर्स ट्रेसर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	ग्राउंड फ्लोर पर 250 वर्गफुट (23.23 वर्गमीटर), इकाई नंबर 3ए, सुविधा ब्लॉक-2	'फार्मसी स्टोर' स्थापित करने और संचालित करने के लिए	28.11.2023	कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे क्रेच, मेडिकल सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं।

सुरेंद्र मलिक

मद संख्या 6: इकाई का नाम परिवर्तन का प्रस्ताव:-

6.1 मेसर्स सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

6.1.1 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित अपनी इकाई के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई का नाम बदलकर 'टेलीपरफॉर्मर्स ग्लोबल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड' करने के लिए मेसर्स सीआरएम सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग द्वारा जारी निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 में निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है। आगे की यह मंजूरी निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर है:-

- i. बदले हुए नाम पर पैन कार्ड और आईईसी की प्रतियां।
- ii. कंपनी के निदेशकों में परिवर्तन का विवरण, यदि कोई हो।

मद संख्या 7: विविध मामले

7.1 मुक्त व्यापार एवं भण्डारण क्षेत्र की समीक्षा: -

अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की। उचित विचार-विमर्श के बाद और वाणिज्य विभाग में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, अनुमोदन समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिए: -

1) विशेष आर्थिक क्षेत्र में सभी लेनदेन केवल ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। यदि किसी अपरिहार्य कारण से सीमा शुल्क द्वारा कोई मैनुअल लेनदेन किया जाना है, तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी या सीमा शुल्क आयुक्त की मंजूरी, जैसा लागू हो, प्राप्त की जानी चाहिए। इसके बाद उचित लेखांकन के लिए लेनदेन को जल्द से जल्द ऑनलाइन रिपोर्ट किया जाना चाहिए और ऐसे लेनदेन से संबंधित सभी दस्तावेजों को विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑनलाइन सिस्टम पर अपलोड किया जाना चाहिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र के अधिकृत अधिकारी वस्तुओं और सेवाओं के सही मूल्यांकन के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सामान का उचित मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एनआईडीबी डेटाबेस तक पहुंच प्रदान की जाएगी।

2) उत्पाद कवरेज:

एफटीडब्ल्यूजेड/विशेष आर्थिक क्षेत्र में कीमती धातुओं और संबंधित वस्तुओं और भंडारण/व्यापार गतिविधियों के लिए अन्य संवेदनशील वस्तुओं वाली मौजूदा इकाइयों के सभी स्वीकृति पत्र को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित किया जाएगा: -

- (a) सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) अध्याय 71, एचएस 2616 और एचएस 9608 के अंतर्गत आने वाली सभी कीमती धातुओं और संबंधित वस्तुओं का व्यापार/भंडारण हटा दिया जाएगा;
- (b) आईटीसी एचएस कोड 080132, 080280, 0904, 9101, 9111, 91149030 के तहत सामान, ऐसी सभी मौजूदा व्यापार/भंडारण इकाइयों के स्वीकृति पत्र से हटा दिया जाएगा।
- (c) हालांकि, एफटीडब्ल्यूजेड/विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई के स्टॉक में मौजूद कीमती धातुओं के सामान को इकाई द्वारा पुनः निर्यात करने की अनुमति दी जा सकती है। कीमती धातु के अलावा अन्य सामान जो मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र /विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई के भंडार में हैं और उन्हें बाहर रखा गया है, उन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय और/या किसी अन्य सरकारी विभाग की मौजूदा नीति शर्तों के अनुसार लेनदेन की अनुमति दी जा सकती है।

सुरेंद्र मलिक

4) भंडारण इकाइयों के मामले में, प्रत्येक इकाई उचित परिश्रम करेगी और अपने ग्राहकों के संबंध में केवाईसी सुनिश्चित करेगी जिसमें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी: -

- a) व्यावसायिक अनुबंध की प्रति
- b) प्रवर्तक/निदेशक के पासपोर्ट/वैध आईडी की प्रति
- c) इस आशय के उपक्रम की प्रतिलिपि कि भंडारण इकाई ने अपने ग्राहकों के केवाईसी, पूर्ववृत्त और वित्तीय स्थिति का सत्यापन कर लिया है।
- d) बैंक विवरण और वित्तीय प्रमाण-पत्रों की प्रति।

5. इकाई माल की आपूर्ति के विरुद्ध प्राप्त प्रेषण की निगरानी करेगी।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त